न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारी :– नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 79/2018

अपीलाण्ट –

नेमीचन्द पुत्र खीवाराम जाति घांची (राठौड) निवासी जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. सज्जनसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र भोपालसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण रूपावास तहसील सोजत
3. बाबुसिंह पुत्र जगनाथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वणदार तहसील देसूरी जिला पाली
4. उगमा कंवर पुत्री जगनाथसिंह पत्नी मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी गुलर तहसील परबतसर जिला नागौर हाल निवासी कुम्भा मगरी, ब्राहम्णों का गुड़ा, अम्बेरी तहसील बड़गांव जिला उदयपुर
5. उप पंजीयन अधिकारी मय तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 225राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री भवानीसिंह जैतावत, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल सोनी, अधिवक्ता

– निर्णय –

दिनांक : 06/12/2022

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 133/2016 सज्जनसिंह वगैरा बनाम बाबुसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.11.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम बरियाला के खसरा नम्बर 496, 499 व 510 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में चिमनसिंह पुत्र रतनसिंह की खातेदारी भूमि थी, जो चिमनसिंह द्वारा दिनांक 12.08.1968 को नरसिंग, बाबुसिंह पि0 जगनाथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वणदार तहसील देसूरी को बेचान की तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया। चिमनसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दादा थे। उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 30.03.1969 को खरीदकर्ता के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया, जो नामान्तरकरण भूतपूर्व सरपंच श्री भोपालसिंह द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त भोपालसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता थे। इसके पश्चात नरसिंग का देहान्त होने के कारण उनके वारिशान के तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपने 3/4 हिस्से की भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित किया। वक्त बेचान से अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त आराजी में नरसिंग एवं बाबूसिंह का नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज होने के कारण उक्त नामों को राजस्व रेकर्ड से विलोपित करते हुए स्वयं के हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा, साथ ही अस्थाई व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उस वाद में अपीलाण्ट को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को यह बखूबी जानकारी में था कि उक्त आराजी अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय की गई है तथा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अपीलाण्ट को उक्त वाद की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकार संयोजित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में पुख्ता तथ्य प्रस्तुत किये, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया, जो विधि विरूद्ध हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2012 पेज 208,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आर0आर0डी0 2015 पेज 210, आर0आर0डी0 2017 पेज 286, आर0आर0डी0 2011 पेज 563 तथा आर0आर0डी0 2010 पेज 573 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दादा चिमनसिंह की खातेदारी भूमि थी। चिमनसिंह के एक पुत्र भोपालसिंह एवं एक पुत्री गजरा देवी थी। नरसिंह एवं बाबूसिंह उक्त गजरादेवी के पुत्र हैं, जो बचपन से ही ग्राम रूपावास में ही रहते थे। नरसिंग एवं बाबूसिंह द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए जैर अपील विवादित आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा दी, जबकि मौके पर पूर्व में चिमनसिंह का कब्जा काश्त था। उसके पश्चात उनके पुत्र भोपालसिंह उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा भोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि पर मेहन्दी की फसल लगाई है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा लाखों रूपये व्यय कर उक्त भूमि का उपजाउ बनाया हैं। उक्त भूमि नरसिंग एवं बाबूसिंह द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम दर्ज करवाई है, जिसके कारण नरसिंग के फौत होने के बावजूद भी उसका नामान्तरकरण वर्षो तक दर्ज नहीं करवाया गया। इसके पश्चात उसका फौतेदगी नामान्तरकरण दारय करवाकर जरिये आममुख्तियार जैर अपील विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण अपीलाण्ट को कर दिया गया। अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने की कोशिश करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर लिये गये बयानात् एवं पर्चा मौका में अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त न मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त माना हैं। जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें उनका हक हिस्सा निहित है, जो मूल वाद में तय हो जायेगा, किन्तु यदि इस दरम्यान अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जैर अपील विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है, तो निश्चय ही उन्हे न केवल अपूर्णीय क्षति होगी, बल्कि वाद बाहुल्यता भी बढेगी। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे. (एस.सी) 1999 पेज 242, डी.एन.जे. (एस.सी) 2004 पेज 269, डी.एन.जे. (राज) 1999 (1) पेज 216, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 12 नियम 6, डी.एन.जे. 2019 (9) पेज 1217, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 212, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं 135 के तहत पारित आदेशों एवं न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन एवं पठन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बतौर प्रार्थी, जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमें पारित आदेश को हस्तगत अपील के जरिये चुनौती दी गई है, उक्त पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी है, उन्होने जैर अपील विवादित आराजी को अपनी पुश्तैनी होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड में स्वयं के नाम की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना अंकित करते हुए उक्त कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखल अन्दाजी करने एवं राजस्व रेकर्ड में नरसिंग व बाबूसिंह का नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज होने के कारण उनके द्वारा उक्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने से रोकने बाबत अस्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा, जो जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी माना है, जो राजस्व रिकार्ड से बखूबी प्रमाणित भी हैं। इस तथ्य को आधार बिन्दु मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, तथ्यों एवं अभिकथनों को देखते हुए प्रकरण में जो बिन्दु परिलक्षित होते है, वे इस प्रकार है – क्या कब्जे को आधार मानते हुए रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबद किया जाना न्यायोचित है ? इस तथ्य को अपने पक्ष में साबित करने हेतु उभयपक्ष द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में जो न्यायिक सिद्धान्तों प्रस्तुत किये है, उनको उद्धरित किया जाना आवश्यक है। विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जे के बिन्दु को लेकर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का सहारा लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 242 प्रताप्राई एन. कोठारी बनाम जॉन बग्रेन्जा में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "[A] Civil Procedure Code, 1908- Possessory title-Claim thereof-Person in long and continuous possession can be protect the seeking injunction against any person except real owner-Even real owner can get his possession by resorting to due process of law." इसी प्रकार डी.एन.जे. (एस.सी) 2004 पेज 263 रामे गोवदा के का0मु0 बनाम एम.वरदप्पा के का0मु0 व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Specific Relief Act, 1963-Sec. 14-Suit for injunction-Dispute over land- Plaintiff thought having failed to prove title proved his possession over land-Injuction issued in his favour-Question of title left open-Held, Courts below adopted right approach-Setted possession even without title is protected by law. " इसी प्रकार डी.एन.जे. (राज.) 1999 पेज 216 भंवरलाल बनाम श्री शिव प्रसाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Civil Procedure Code, 1908-115-Revision- No title in fovour of the parties-Only possession over the land-Permitting the party to raise construstion is beyond the jurisdiction-Order set aside to this extent & parties will maintain the status quo

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

during the pendency of suit." एस.ए.आर. (सिविल) 2000 पेज 778 उत्तमसिंह दुगल व कम्पनी लि0 बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया वगैरा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "1.Civil Procedure Code, 1908, Order 12, Rule 6-Judgment on admissions-Nature of admissions forming basis of- admissions of liability made in the meeting of Board of Directors of a company and their recording in the minutes of the meeting and in the letter sent to the other party conveying the contents of resolution and sending the copy of minutes of the meeting of Board of Directors containing such admissions are covered ruder Order 12, Rule 6- such. admission coupled with those made in the pleadings, such as, answer and affidavit-in-opposition to application under the provision can form sufficient ground to pass judgment on admissions. (Paras 13, 14, 15 & 16)

B. Civil Procedure Code, 1908, Order 12, Rule 6-Provisions of--Object of-The object of the Rule is to enable the party to obtain a speedy judgment at least to the extent of the relief to which according to the admission of the defendant, the plaintiff is entitled. (Para· 13)

C. Indian Evidence Act, 1872, Secs. 18 to 23-Admissions-When generally arise-When a statement is made by a party in any of the modes provided under Secs. 18 to 23 of the Act-Admissions are of many kinds-Admissions may be considered as being on record as actual if that is either b the pleadings by non-traversal as also as between parties by agreement or notice. (Para 18)

D. Admission-Forming basis of judgment~-Nature of--Admission of liability made in meeting of Board of Directors of the company and their recording in minutes of the meeting and In letter sent to the other party intimating the contents of resolution-Covered under Order 12, Rule 6--Such admission coupled with those made in the pleadings - Can form sufficient ground to pass judgment on admissions-Admissions generally arise when statement is made by a party in any of the modes provided under Sections 18 to 23 of Evidence Act. (Paras 13, 15, 16 & 18)" इसी प्रकार डी.एन.जे. 2019 (3) पेज 1217 हर नारायण बनाम श्रीमति कंचान पंवार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Civil Procedure Code, 1908, Order 39, Rules 1 and 2 - Temporary injunction - Validity of - In instant case, appellant has challenged order on an application under Order 39 Rule 1 & 2 Civil Procedure Code whereby he has passed interim injunction directing that the · property situated shall neither be alienated nor transferred nor any construction be made thereto - Admittedly, there exists as on today a registered gift deed which has been executed by father in favour of the appellant - Balance of convenience is also in favour of the appellant - No balance of convenience in favour of the plaintiff - No irreparable loss to plaintiff - Order is not sustainable and set aside - Appeal allowed." उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त भूमि पर किये गये कब्जे को रेखांकित करते हैं।

इनके विपरित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, उनका विवरण इस प्रकार है – आर.आर.डी. 2015 पेज 208 झंवरीलाल व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Tenancy Act, Sec. 212-RAA set· · aside the order· of granting_ temporary injunction and the. Board affirmed the order--Predecessor of the . petitioners 'N' ·executed· a registered sale deed in favour of the 'B' husband of respondent No.2-RAA found. no prima facie case-Held, Board has not committed any error in dismissing the revision" इसी प्रकार आर.आर.डी. 2015

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पेज 210 नाथुलाल व अन्य बनाम तुलसीराम व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि " Rajasthan Tenancy Act, Sec. 212-Temporary injunction-R.A.A. allowed. the application arid granted T.1.-Mutation attested in favour of the non-petitioners was cancelled but they did not challenge it-When determination of subject-matter of suit and identity is unclear, no temporary injunction can be granted-Petitioners are recorded khatedar of the land and prima facie they are in possession of the land-Held, impugned order is set aside." आर.आर.डी. 2017 पेज 286 श्रीमती कमलेश बावरी बनाम रणजीतसिंह व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 212–अस्थायी निषेधाज्ञा– प्रार्थना पत्र खारिज़ किया–याचिका का पिता जीवित है और उसके जीवनकाल में याची प्रश्नगत सम्पति में किसी अधिकार का दाबा नहीं कर सकता है–रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वअर्जित सम्पति और वह रिकार्डेड खातेदार है–वादी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है–तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष–निर्णीत, आदेश किसी शिथिलता, अवैधता या क्षैत्राधिकारिता से ग्रसित नहीं हैं।" इसी प्रकार आर.आर.डी. 2011 पेज 563 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि " Rajasthan Tenancy Act, Section 212-Revnsion against order of R.A.A.-Held, during pendency of suit petitioners filed Application u/s 212-- Application rejected by S.D.O.-Appeal also rejected by R.A.A. According to plaintiffs, disputed land was allotted to defendants ,but plaintiffs are in possession of the disputed land since 40 years hence disputed land be given due to adverse possession-Non-petitioners are recorded khatedars--Petitioners have no title-Prima facie land is not in possession of petitioners-Both the subordinate courts rejected the Application-Prima facie, temporary injunction cannot be given in absence of of written document against recorded khatedar--R.A.A. has neither exceeded the jurisdiction nor committed legal error or irregularity in passing the order."

हमने उपरोक्त समस्त न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार है, जिसने उक्त भूमि खातेदार के आम मुख्तियार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी को अपने दादा चिमनसिंह की सम्पति होना बताते हुए उक्त भूमि में से अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा हैं। प्रकरण में प्रश्न यह उठता है कि जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही होगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा होने बाबत कथन किया तथा इन कथनों के समर्थन में भूमि को काश्त हेतु दिये जाने बाबत तहरीर की गई लिखित की प्रति प्रस्तुत की है, जो वह एक सादे पेपर पर है, जिसमें न तो खसरा नम्बर का इन्द्राज है तथा न ही भूमि की भौतिक प्रस्थिति का, इससे यह नहीं माना जा सकता है कि यह लिखत प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्धित हो। अपीलाण्ट

प्रकरण में सद्भावी क्रेता होकर रेकर्डेड खातेदार दर्ज हैं। आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 623 महादेवी बनाम राममूर्ति के प्रकरण में माननीय मण्डल की एकलपीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु यह भी देखा जाना आवश्यक है कि सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षर्ति किसके पक्ष में हैं ? इन दोनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि जैर अपपील विवादित आराजी का वर्ष 1969 में बाबुसिंह व नरसिंह के नाम नामान्तरकरण दायर हो चुका था, उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता भोपालसिंह द्वारा तत्कालीन सरपंच की हैसियत से स्वीकृत किया गया था। इसके लगभग 45 वर्ष पश्चात उक्त भूमि का विक्रय अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया। इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज नहीं होने तथा बाबुसिंह व नरसिंह का नाम तथाकथित रूप से विधि विरूद्ध होने के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित करता हो। वर्ष 2015 में उक्त भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में पाया नहीं जाता है, न ही सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में हैं। यदि जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में अस्थाई व्यादेश जारी किया जाता है, तो निश्चित रूप से रिकार्डेड खातेदार के हित प्रभावित होते हैं। इस प्रकार प्रकरण में अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एवं अपीलाण्ट के पक्ष में प्रबल प्रतीत होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 133/2016 सज्जनसिंह वगैरा बनाम बाबुसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.11.2016 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली